

**न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा।**

उपस्थिति-अनिल कुमार XI, उ.प्र. न्यायिक सेवा,

जे.ओ. कोड संख्या-यू.पी. 1819

दाण्डिक वाद संख्या- 6547/2025

राज्य बनाम OM

थाना- कोतवाली नगर

धारा- 177 एम.वी. एक्ट

08-03-2025

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त अनुपस्थित है।

माननीय राज्यपाल उ.प्र. द्वारा जारी अध्यादेश संख्या 22/79-वि-1-2023-2-क-2-2023 लखनऊ 22 मार्च 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम संख्या 1979 की धारा 9 में उपधारा (2) में शब्द और अंक 31 दिसंबर 2016 के स्थान पर शब्द और अंक 31 दिसम्बर 2021 रख दिये जायेंगे।

अतः उपरोक्त अध्यादेश के अनुपालन में वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 08-03-2025

(अनिल कुमार XI)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
एटा।

**न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा।**

उपस्थिति-अनिल कुमार XI, उ.प्र. न्यायिक सेवा,

जे.ओ. कोड संख्या-यू.पी. 1819

दाण्डिक वाद संख्या- 951 /2025

राज्य बनाम MANOJ KUMAR

थाना- कोतवाली नगर

धारा- 177 एम.वी. एक्ट

चालान संख्या- UP75691210310112405 दिनांकित- 10-03-2021

वाहन संख्या- RJ11GB6660

17-02-2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अनुपस्थित है।

माननीय राज्यपाल उ.प्र. द्वारा जारी अध्यादेश संख्या 22/79-वि-1-2023-2-क-2-2023 लखनऊ 22 मार्च 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम संख्या 1979 की धारा 9 में उपधारा (2) में शब्द और अंक 31 दिसंबर 2016 के स्थान पर शब्द और अंक 31 दिसम्बर 2021 रख दिये जायेंगे।

अतः उपरोक्त अध्यादेश के अनुपालन में वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 17-02-2025

(अनिल कुमार XI)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
एटा।

**न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा।**

उपस्थिति-अनिल कुमार XI, उ.प्र. न्यायिक सेवा,  
जे.ओ. कोड संख्या-यू.पी. 1819

दाण्डिक वाद संख्या- 952 /2025

राज्य बनाम MANOJ KUMAR

थाना- कोतवाली नगर

धारा- 177 एम.वी. एक्ट

चालान संख्या- UP75691210701094343 दिनांकित- 01-07-2021

वाहन संख्या- RJ11GB6660

17-02-2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अनुपस्थित है।

माननीय राज्यपाल उ.प्र. द्वारा जारी अध्यादेश संख्या 22/79-वि-1-2023-2-क-2-2023 लखनऊ 22 मार्च 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम संख्या 1979 की धारा 9 में उपधारा (2) में शब्द और अंक 31 दिसंबर 2016 के स्थान पर शब्द और अंक 31 दिसम्बर 2021 रख दिये जायेंगे।

अतः उपरोक्त अध्यादेश के अनुपालन में वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 17-02-2025

(अनिल कुमार XI)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
एटा।

**न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा।**

उपस्थिति-अनिल कुमार XI, उ.प्र. न्यायिक सेवा,  
जे.ओ. कोड संख्या-यू.पी. 1819

दाण्डिक वाद संख्या- 953 /2025

राज्य बनाम MANOJ KUMAR

थाना- कोतवाली नगर

धारा- 177 एम.वी. एक्ट

चालान संख्या- UP75691210818104123 दिनांकित- 18-08-2021

वाहन संख्या- RJ11GB6660

17-02-2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अनुपस्थित है।

माननीय राज्यपाल उ.प्र. द्वारा जारी अध्यादेश संख्या 22/79-वि-1-2023-2-क-2-2023 लखनऊ 22 मार्च 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम संख्या 1979 की धारा 9 में उपधारा (2) में शब्द और अंक 31 दिसंबर 2016 के स्थान पर शब्द और अंक 31 दिसम्बर 2021 रख दिये जायेंगे।

अतः उपरोक्त अध्यादेश के अनुपालन में वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 17-02-2025

(अनिल कुमार XI)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
एटा।

**न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा।**

उपस्थिति-अनिल कुमार XI, उ.प्र. न्यायिक सेवा,  
जे.ओ. कोड संख्या-यू.पी. 1819

दाण्डिक वाद संख्या- 955 /2025

राज्य बनाम MANOJ KUMAR

थाना- कोतवाली नगर

धारा- 177 एम.वी. एक्ट

चालान संख्या- UP28372201119105335 दिनांकित- 19-11-2020

वाहन संख्या- RJ11GB6660

17-02-2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अनुपस्थित है।

माननीय राज्यपाल उ.प्र. द्वारा जारी अध्यादेश संख्या 22/79-वि-1-2023-2-क-2-2023 लखनऊ 22 मार्च 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम संख्या 1979 की धारा 9 में उपधारा (2) में शब्द और अंक 31 दिसंबर 2016 के स्थान पर शब्द और अंक 31 दिसम्बर 2021 रख दिये जायेंगे।

अतः उपरोक्त अध्यादेश के अनुपालन में वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 17-02-2025

(अनिल कुमार XI)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
एटा।

**न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा।**

उपस्थिति-अनिल कुमार XI, उ.प्र. न्यायिक सेवा,  
जे.ओ. कोड संख्या-यू.पी. 1819

दाण्डिक वाद संख्या- 957 /2025

राज्य बनाम SAURABH YADAV

थाना- कोतवाली नगर

धारा- 177 एम.वी. एक्ट

चालान संख्या- UP28633200518090826 दिनांकित- 18-05-2020

वाहन संख्या- UP84Z6294

17-02-2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अनुपस्थित है।

माननीय राज्यपाल उ.प्र. द्वारा जारी अध्यादेश संख्या 22/79-वि-1-2023-2-क-2-2023 लखनऊ 22 मार्च 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम संख्या 1979 की धारा 9 में उपधारा (2) में शब्द और अंक 31 दिसंबर 2016 के स्थान पर शब्द और अंक 31 दिसम्बर 2021 रख दिये जायेंगे।

अतः उपरोक्त अध्यादेश के अनुपालन में वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 17-02-2025

(अनिल कुमार XI)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
एटा।

**न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा।**

उपस्थिति-अनिल कुमार XI, उ.प्र. न्यायिक सेवा,  
जे.ओ. कोड संख्या-यू.पी. 1819

दाण्डिक वाद संख्या- 960 /2025

राज्य बनाम SAURABH KUMAR

थाना- कोतवाली नगर

धारा- 177 एम.वी. एक्ट

चालान संख्या- UP73769210511121721 दिनांकित- 11-05-2021

वाहन संख्या- UP84AB5771

17-02-2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अनुपस्थित है।

माननीय राज्यपाल उ.प्र. द्वारा जारी अध्यादेश संख्या 22/79-वि-1-2023-2-क-2-2023 लखनऊ 22 मार्च 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम संख्या 1979 की धारा 9 में उपधारा (2) में शब्द और अंक 31 दिसंबर 2016 के स्थान पर शब्द और अंक 31 दिसम्बर 2021 रख दिये जायेंगे।

अतः उपरोक्त अध्यादेश के अनुपालन में वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 17-02-2025

(अनिल कुमार XI)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
एटा।

**न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा।**

उपस्थिति-अनिल कुमार XI, उ.प्र. न्यायिक सेवा,  
जे.ओ. कोड संख्या-यू.पी. 1819

दाण्डिक वाद संख्या- 961 /2025

राज्य बनाम DHEERAJ PRAKASH

थाना- कोतवाली नगर

धारा- 177 एम.वी. एक्ट

चालान संख्या- UP2864119103110758 दिनांकित- 31-10-2019

वाहन संख्या- UP80BP0081

17-02-2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अनुपस्थित है।

माननीय राज्यपाल उ.प्र. द्वारा जारी अध्यादेश संख्या 22/79-वि-1-2023-2-क-2-2023 लखनऊ 22 मार्च 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम संख्या 1979 की धारा 9 में उपधारा (2) में शब्द और अंक 31 दिसंबर 2016 के स्थान पर शब्द और अंक 31 दिसम्बर 2021 रख दिये जायेंगे।

अतः उपरोक्त अध्यादेश के अनुपालन में वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 17-02-2025

(अनिल कुमार XI)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
एटा।